

राज्य सरकार के पक्ष में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में सदर कोतवाली बदायूँ पुलिस द्वारा अभियुक्त देशदीपक बजाज की मौहल्ला पनवाडिया में स्थित दुकान को अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण किये जाने के संबंध में ।

(सम्पत्ति के जब्तीकरण की वर्तमान अनुमानित कीमत 1906380/- रुपये है ।)

अभियुक्त देश दीपक बजाज पुत्र श्री मनोहर लाल बजाज निवासी मो० पनवाडिया थाना कोतवाली बदायूँ का एक शातिर किस्म का अपराधी है जो लगातार वर्ष 2013 तक अपराधों में संलिप्त रहा है तथा हत्या के प्रयास एवं हत्या जैसे अपराध करके जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर रहा था जिसके द्वारा वर्ष 2015 में सुभाष पुत्र निहालचन्द्र शर्मा निवासी जोगीपुरा थाना कोतवाली बदायूँ के गोली मारकर मो० पनवाडी निकट गांधी ग्राउण्ड पर हत्या कर दी थी जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु०अ०स० 496/15 धारा 302/504/34 भादवि बनाम देशदीपक बजाज आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ एवं देशदीपक बजाज के विरुद्ध थाना कोतवाली बदायूँ पर मु०अ०स० 952/13 धारा 307/507 आईपीसी एवं 1075/13 धारा 307/504 आईपीसी आदि अभियोग पंजीकृत किये गये थे । अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र शशांक बजाज के साथ गैंग बनाकर उक्त अपराध कारित किये गये तथा अवैध धन कमाकर अवैध सम्पत्ति अर्जित करके उक्त के सम्बन्ध में अभियुक्त देशदीपक बजाज के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु०अ०स० 936/15 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया ।

उक्त अभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य एवं आवश्यक कार्यवाही के बाद उक्त अभियुक्त देशदीपक बजाज के विरुद्ध 14(1) गैंग स्टर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में एक दुकान स्थित मौ० जोगीपुरा कुर्क करने हेतु कार्यवाही श्रीमान जिलाअधिकारी महोदय बदायूँ द्वारा अपने पत्रांक- 1920/रिडर-डीएम बदायूँ द्वारा की गयी । अभियुक्त देशदीपक बजाज की शिव मन्दिर के पास मौहल्ला पनवाडिया में स्थित दुकान को अवैध सम्पत्ति अर्जित कर खरीदा था जिसको अंतर्गत 14(1) गैंगस्टर एक्ट में राज्य सरकार के पक्ष में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में सील किया गया उक्त दुकान की वर्तमान अनुमानित कीमत 1906380/- रुपये है । उक्त सम्पत्ति के जब्तीकरण के समय श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमान तहसीलदार महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था रखकर दुकान को कुर्क किया गया ।

देशदीपक बजाज का आपराधिक इतिहास निम्नवत है ।

- 1- मु0अ0सं0 879/89 धारा 307 भादवि व 27 आम्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूँ
- 2- मु0अ0सं0 366/99 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली बदायूँ
- 3- मु0अ0सं0 952/13 धारा 307/504/174क भादवि थाना कोतवाली बदायूँ
- 4- मु0अ0सं0 1075/13 धारा 307/504/174ए भादवि थाना कोतवाली बदायूँ
- 5- मु0अ0सं0 178/14 धारा 110 जी द0प्र0स0 थाना कोतवाली बदायूँ
- 6- मु0अ0सं0 496/15 धारा 302/504/34 भादवि थाना कोतवाली बदायूँ
- 7- मु0अ0सं0 936/15 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बदायूँ

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।